1376

कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना।

पत्रांक 3039 /पटना, दिनांक 30.03.2026

01 नि०/वाहन – 05/2018

प्रेषक,

रजनीश कुमार सिंह, भा.प्र.से.,
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,
बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक0)
बिहार, पटना।

विषय :– **सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ को वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए विभागीय कार्यों हेतु भाड़े की गाड़ी के उपयोग करने की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 2026–27 में विभागीय कार्यों यथा समितियों (पैक्सों एवं व्यापार मंडलों सहित) के अंकेक्षण कार्यों की समीक्षा/पर्यवेक्षण आदि हेतु जिले में भ्रमण के लिए सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ को वित्त विभागीय परिपत्रों के आलोक में इसमें निर्दिष्ट शर्तो का पालन करते हुए बजट उपबंध के अधीन जिला पदाधिकारी द्वारा अनुमोदित दर या इस दर के अधीन निविदा के माध्यम से निबंधित ट्रेवल एजेंसी से भाड़े पर वाहन रखने की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो के अधीन दी जाती हैः–

(i) भाड़े का वाहन संबंधित जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा निविदा द्वारा अनुमोदित दर या इस दर के अधीन नियमानुसार निविदा प्रक्रिया आदि का पालन कर निर्धारित दर पर ली जाय।

(ii) भाड़े पर वाहन के परिचालन में न्यूनतम आवश्यकता एवं मितव्ययिता का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(iii) पुराने/निष्प्रयोजित सरकारी वाहनों की रद्दीकरण के उपरांत ही भाड़े के वाहन का उपयोग किया जाय।

(iv) यदि सरकारी वाहन का रद्दीकरण कराया गया है, तो उक्त वाहन को नियमानुसार यथाशीघ्र नीलाम कराते हुए प्राप्त राशि कोषागार में जमा कर सूचित किया जाय।

(v) बाह्य सेवा शर्त्तों पर पदस्थापित/अतिरिक्त प्रभार के पदाधिकारी, जिन्हें बाह्य सेवा/अतिरिक्त प्रभार में वाहन उपलब्ध हो, वे भाड़े के वाहन का प्रयोग नहीं करेंगे।

(vi) जिस कार्यालय में सक्षम चालक पदस्थापित/प्रतिनियुक्त हैं, वहाँ चालक रहित दर पर भाड़े का वाहन लिया जाय।

(vii) यह आदेश वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026–27 की समाप्ति तक के लिए प्रभावी होगा।

2. भाड़े के वाहन का व्यय माँग संख्या–09 के अतंर्गत मुख्यशीर्ष–2425–सहकारिता, उपमुख्यशीर्ष–00, लघुशीर्ष–101–सहकारी समितियों की लेखा परीक्षा, उपशीर्ष–0001–अंकेक्षण, विपत्र कोड–09–2425001010001 के अंतर्गत विस्तृत शीर्ष 13–कार्यालय व्यय, विषय शीर्ष 10–भाड़े की गाड़ी का भुगतान मद के अंतर्गत विकलनीय होगा।

3. वाहन भाड़े की राशि की निकासी एवं भुगतान सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ एवं जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ द्वारा उपर्युक्त शीर्ष अंतर्गत निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना द्वारा दिए गए आवंटन के आलोक में किया जा सकेगा।

4. उपर्युक्त स्वीकृति में सचिव, सहकारिता विभाग का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन,

30/3/26

(रजनीश कुमार सिंह)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ,

375

ज्ञापांक 3039 /पटना, दिनांक 30.03.2026

प्रतिलिपि :–

1. सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना/ सभी प्रमण्डलीय संयुक्त निबंधक (अंकेक्षण), सहयोग समितियाँ/सभी जिला अंकेक्षण पदाधिकारी, सहयोग समितियाँ/ सभी प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक, सहयोग समितियाँ/ सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी/बजट शाखा, प्रशाखा 01/नि॰, कार्यालय, निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।
2. सभी कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

30/3/26

निबंधक,
सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक 3039 /पटना, दिनांक 30.03.2026

प्रतिलिपि :– आई॰टी॰ प्रबंधक, सहकारिता विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ हेतु प्रेषित।

30/3/26

निबंधक,
सहयोग समितियाँ
बिहार, पटना।